निग0-5096/2018/रीवा/भू.रा0

न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल ग्वालियर सर्किट कोर्ट रीवा, जिला-रीवा (म0प्र0)

रामसूरत द्विवेदी तनय श्री लालजी द्विवेदी उम्र-35 वर्ष, निवासी ग्राम-जोरौट, तहसील-नईगढ़ी, जिला-रीवा (म0प्र0) ---------निगरानीकर्ता

बनाम्

1- राघोशरण द्विवेदी, उम्र-48 वर्ष,
2- चन्द्रशेखर द्विवेदी, उम्र-45 वर्ष, } दोनों के पिता रामखेलावन द्विवेदी

3- हीरालाल तिवारी उम्र-43 वर्ष,
4- शिव प्रसाद तिवारी, उम्र-35 वर्ष, } दोनों के पिता कल्पदीन तिवारी

5- रामसुफल तनय रामसुन्दर तिवारी, उम्र-48 वर्ष,

सभी निवासी ग्राम-जोरौट, तहसील-नईगढ़ी, जिला-रीवा (म0प्र0)

-------गैरनिगरानीकर्तागण

निगरानी विरूद्ध आदेश न्यायालय श्रीमान् अपर आयुक्त महोदय (श्री मधुकर अग्नेय जी) रीवा सम्भाग रीवा (म0प्र0) के अपील प्रकरण कमांक 847/अपील/2014-15 आदेश दिनांक 20/07/2018

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म0प्र0 भू-राजस्व संहिता सन् 1959ई0

Presented by Shri ... Advocate/Applicant ...
Supdt. Commissioner's office Rewa Division
अधि0 श्री उमेश कुमार चतुर्वेदी द्वारा पेश। 21-8-18
... राजस्व मण्डल म0 प्र0 ग्वालियर मान्यवर ...

निगरानी के संक्षेप में तथ्य निम्नलिखित हैं :-

1- यह कि आराजी नं0 205 रकवा 1.78 एकड़ स्थित ग्राम-जोरौट, तहसील-नईगढ़ी, जिला-रीवा (म0प्र0) रामखेलावन व रामप्रताप दोनों के पिता रामस्वरूप द्विवेदी के स्वत्व व पट्टे कब्जे दखल की भूमि थी, जिसमें दोनों भाईयों का 1/2, 1/2 यानि रकवा 0.89 एकड़ एवं 0.89 एकड़ हिस्सा था, रामखेलावन की मृत्यु हो गई है जिसके वारिसान

21/8/18

रामसूरत

(123)

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ–अ

प्रकरण क्रमांक R. 5096 - रीवा/18 जिला– रीवा

राम सूरत द्विवेदी विरूद्ध राधेशरण द्विवेदी वगैरह

(1)	(2)	(3)
18-12-18	1. आवेदक की ओर से श्री उमेश कुमार चतुर्वेदी अधिवक्ता द्वारा यह निगरानी कमिश्नर/~~अपर~~ कमिश्नर, रीवा संभाग रीवा के प्रकरण क्रमांक 847/अपील/14-15 में पारित आदेश दिनांक 20.7.18 के विरूद्ध इस न्यायालय में दिनांक 21.8.18 प्रस्तुत की गयी है। 2. म0प्र0 भू–राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुये संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अन्तर्गत निगरानी सुनने की अधिकारिता इस न्यायालय को नहीं है। अतः आवेदक को सक्षम न्यायालय में आवदेन प्रस्तुत करने हेतु मूलतः वापस किया जाता है। निगरानी की छायाप्रति प्रकरण के साथ रखी जाये। 3. इस न्यायालय का प्रकरण समाप्त किया जाता है, तत्पश्चात प्रकरण दा.द. हो। सदस्य	

एकड़ हिस्सा था, रामखेलावन की मृत्यु हो गइ है जिसपर ...

21/8/18

रामसूरत